मंडल की 27 मार्च 2020 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	306	25 फरवरी 2020 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 25.2.2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	307	पूराने ससून डॉक में प्लॉट सं. 46 पर असुरक्षित संरचना (पूराना हाफकिन संस्थान) का विध्वंस.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
3.	308	स्नेहक तेल एवं ग्रीस की खरीद.	विचार-विमर्श आस्थागित.	यांत्रिकी
4.	309	सर्वे संख्या 166 तथा 21, गांव - मांडा, टिटवाला स्थित कल्याण डोंबिवली मुद्रा रोड द्वारा प्रभावित मुंपोट्र की भूमि को कडोंमनपा को समर्पित करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
5.	310	मुंपोट्र भूमि पर झोपडपट्टी पुर्नवसन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति - झोपडपट्टी नीति को तैयार करने हेतु नामांकन आधारपर एआईआईएलएसजी की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 मे दिये गये मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है. तथापि, झोपडपट्टी पुर्नवसन नीति को तैयार करने के लिए एआईआईएलसीजी के कार्य को केवल सभी पोर्टों के लिए कॅबिनेट द्वारा टाऊनशिप नीति / योजना को अनुमोदन दिये जाने के बाद ही प्रदान किया जायेगा.	स्थापत्य
6.	311	दिनांक 24.6.2003 की न्या. सं. 74 (ii) का पुनरीक्षण - नौवहन मंत्रालय और पोर्ट और नौवहन संबंधित सरकारी एजेंसिज और अन्य सरकारी एजेंसिज को आवासीय क्वार्टरों का आबंटन	अनुमोदन प्रदान किया जाता है.: (i) टिप्पणी के परिच्छेद 5 मे यथा प्रस्तुत न्यासी सं. 74 दिनांक 24.6.2003 के परिच्छेद 11.4, 11.5 तथा 11.7 मे दी गयी वर्तमान शर्तो तथा निबंधनों में संशोधनों को, तथा; (ii) डॉ. शांति पटेल, पूर्व न्यासी के पुत्र डॉ. यतिन एस. पटेल को सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए सं. 9, सागर दर्शन के अधिभोग के विस्तारण को.	कल्यान

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
7.	312	महा पत्तन न्यासों के विभिन्न विभागों में एक समान पदनाम - मुंपोट्र कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के भर्ती विनियमों मे संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम 2010 के विनियम 5 के अधीन इडीपी प्रभात द्वारा उक्त संशोधनों के सुझाव के साथ पठित अनुलग्नक I में यथा निर्धारित 67 प्रथम श्रेणी पदों के संबधित भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि धारा 124 (i) तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन (मानव संसाधन)
8.	313	1 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 तक मुंपोट्र अस्पताल के ऑपरेशनल टेक ओवर का विचलन.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल के प्रचालन को संभालने के लिए 1 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 तक स्थगित करने हेतु रियायतकर्ता (कन्सेशनेर) के अनुरोध पर विचार करने के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	चिकित्सा
9.	314	मंडल की 14 जनवरी 2020 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की 14.1.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदित, पुनरीक्षित तथा अभिलिखित की जाती है.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
10.	315	कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गये उपाय.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है: (i) कोवीड 19 की लड़ाई मे अबतक किये गये व्यय को; (ii) कोविड 19 की लड़ाई में उसपर हुए व्यय के साथ-साथ सभी ऐसे कदमों/उपायों को करने हेतु अध्यक्षजी को संपूर्ण अधिकार देने के लिए प्राधिकृत करने को; (iii) कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2020 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर रहे है तथा 31 मार्च 2020 को सेवा निवृत होंगे, चाहे वे अपने घर से या कार्यालय से कार्य क्यों न कर रहे हो, को; (iv) कि चिकित्सा अधिकारियों तथा अस्पताल स्टाफ व पाईलटों को भी कोविड 19 संकट के दौरान चिकित्सा कर्मियों के लिए माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा घोषित बीमा योजना के लाभ प्रदान करने को; (v) बेस्ट द्वारा विशेष बसों के लिए (रुपये 50/- प्रति वापसी यात्रा) हेतु कर्मचारियों से लिये गये बस किरायों को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों/ विभाग प्रमुखों को टिकटें प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति करने को.	चिकित्सा